

## अध्याय–VI

### 6. आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न विभागों/इकाइयों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच से निकलने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस अध्याय में शामिल किये गये हैं।

#### ऊर्जा विभाग

##### 6.1 सरकारी प्राप्ति का सरकारी लेखे से बाहर रखा जाना

**राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के गठन में राज्य सरकार की विफलता के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की ₹ 102.01 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे से बाहर रखी गई।**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधानित करता है कि सभी राजस्व प्राप्तियां और राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋण राज्य की समेकित निधि का हिस्सा होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 266(2) यह बताता है कि किसी राज्य की सरकार की ओर से प्राप्त किये गये अन्य सार्वजनिक धन को राज्य के लोक लेखे में जमा किया जायेगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 82(1) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए एक आयोग का गठन करेगी, जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग के रूप में जाना जाएगा, बशर्ते राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अन्तर्गत स्थापित और कार्यशील राज्य विद्युत विनियामक आयोग इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए राज्य आयोग के रूप में कार्य करेगा। अधिनियम की धारा 76 में प्रावधान है कि अधिनियम के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर एक आयोग होगा जिसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के रूप में जाना जाएगा। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित सीईआरसी अधिनियम के उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय आयोग माना जाएगा और इस तरह से कार्य करेगा। अधिनियम की धारा 99 और 103 में प्रावधान है कि केन्द्र और राज्य सरकार के लिए क्रमशः केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि और राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि नामक एक निधि का गठन किया जायेगा और सम्बंधित सरकार द्वारा दिये गये सभी अनुदानों और ऋणों को, सम्बंधित सरकार द्वारा तय किये गये अन्य स्रोतों से सम्बंधित आयोग को प्राप्त सभी शुल्कों और अन्य सभी धनराशियों को जमा किया जायेगा।

सरकार/आयोग द्वारा निधि को बनाने/शुल्कों के भुगतान और अन्य सभी स्रोतों से धनराशि प्राप्त करने के नियम/विनियम बनाने की शक्ति अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों से प्राप्त होती है:

धारा 176/180: केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की सम्बंधित नियम बनाने की शक्ति।

धारा 178/181: केन्द्रीय आयोग/राज्य आयोग की सम्बंधित विनियम बनाने की शक्तियां।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2019) कि अधिनियम की धारा 176 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार ने "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि (गठन और निधि के प्रयोग हेतु प्रक्रिया) और प्रारूप एवं समय तथा बजट की तैयारी के लिए नियम, 2007" बनाया। इन नियमों में बताया गया है कि निधि को केन्द्रीय विद्युत विनियामक

आयोग निधि<sup>1</sup> कहा जायेगा और इस निधि को भारत के लोक लेखे के अन्तर्गत आरम्भ किया जायेगा।

यह भी देखा गया कि अधिनियम की धारा 180 द्वारा राज्य सरकार को समान शक्तियां प्राप्त होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के गठन के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने अधिनियम की धारा 181 से प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क और जुर्माना) विनियम, 2010" बनाया, जिसके अन्तर्गत आयोग द्वारा प्राप्त शुल्क आयोग द्वारा संचालित बैंक खाते में रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की प्राप्तियों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समान संविधान और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार संचालित करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के गठन के लिए नियमों को नहीं बनाने के कारण, यूपीईआरसी द्वारा एकत्रित शुल्क को लोक लेखे से बाहर यूपीईआरसी के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखा जा रहा है। इस प्रकार से, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के उल्लंघन में मार्च 2019 तक ₹ 102.01 करोड़<sup>2</sup> की धनराशि राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी।

सरकार ने उत्तर (जून 2020) में लेखापरीक्षा के मंतव्य को स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग निधि के लिए नियम बनाने और राज्य लोक निधि में ₹ 102.01 करोड़ की धनराशि को हस्तांतरित करने हेतु ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया।

### आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

#### 6.2 बिना शुल्क के पूर्वव्यापी उच्चतर एफएआर की अनुमति के द्वारा विकासकर्ता को अनुचित लाभ

**बिना किसी शुल्क को प्रभारित किये ही हाई-टेक विकासकर्ता को पूर्वव्यापी उच्चतर एफएआर की अनुमति देने के विभाग के निर्णय के कारण विकासकर्ता को ₹ 170.99 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।**

शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्याओं को कम करने और शहरों के नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने 1,500 एकड़ भूमि पर न्यूनतम ₹ 750 करोड़ के निवेश के साथ हाई-टेक टाउनशिप के विकास के लिए निजी विकासकर्ताओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य से एक हाई-टेक टाउनशिप नीति (हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003) बनायी (नवम्बर 2003)। हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं को 150 आवासीय इकाइयों/750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के घनत्व<sup>3</sup> के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)<sup>4</sup> 1.5 अनुमन्य था।

जीओयूपी ने नगर निगम वाले शहरों में सम्बंधित शहरों के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं पर ₹ 1.50 लाख प्रति एकड़ की दर

<sup>1</sup> इस निधि में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये अनुदान/ऋण, केन्द्रीय आयोग द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त किये गये सभी शुल्क और सभी प्राप्तियां शामिल होंगी। केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बाद सीईआरसी अपने वार्षिक बजट के विरुद्ध निधि से राशि निकाल सकता है।

<sup>2</sup> एकत्र किये गये शुल्क, जुर्माना एवं अन्य प्रभार: ₹ 95.74 करोड़ + बैंक जमाओं पर प्राप्त व्याज: ₹ 6.27 करोड़।

<sup>3</sup> आवासीय घनत्व प्रति हेक्टेयर आवास इकाइयों/व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में व्यक्त किया गया।

<sup>4</sup> एक भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल द्वारा एक भवन के सभी मंजिलों के संयुक्त कवर क्षेत्र को विभाजित करके प्राप्त भागफल।

से नगरीय विकास शुल्क (सीडीसी) लगाने का निर्णय लिया (सितंबर 2007)। इसके अतिरिक्त, आवास और शहरी नियोजन विभाग, जीओयूपी (विभाग) ने हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं को 200 आवास इकाईयां/1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर उच्चतर घनत्व तथा 2.5 उच्चतर एफएआर का लाभ विस्तारित किया (अगस्त/दिसम्बर 2008) और सीडीसी की दरों में भी वृद्धि कर ₹ 3.00 लाख प्रति एकड़ कर दिया।

विभाग ने अपने आदेश (23 अप्रैल 2010) से स्पष्ट किया कि सीडीसी उन विकासकर्ताओं के मामले में पूर्वव्यापी रूप से नहीं आरोपित किया जाएगा जो कि हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003 के अन्तर्गत चुने गए थे तथा जिन्होंने टाउनशिप के मूल अनुमोदित क्षेत्रफल के लिए 2005 में एमओयूज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालाँकि, विभाग ने इन विकासकर्ताओं को अपने अगस्त 2008 के आदेश के द्वारा पूर्वव्यापी रूप से अनुमत मूल अनुमोदित क्षेत्रफल पर उच्चतर घनत्व एवं उच्चतर एफएआर के लिए कोई शुल्क<sup>5</sup> नहीं लगाया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2018) से यह पता चला कि लखनऊ में एक हाई-टेक टाउनशिप के विकास के लिए जीओयूपी द्वारा एक विकासकर्ता<sup>6</sup> को चयनित किया गया था (मई 2005)। विकासकर्ता तथा एलडीए के मध्य नवंबर 2005 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभिलेखों की संवीक्षा से आगे यह ज्ञात हुआ कि सरकार के आदेश (23 अप्रैल 2010) के अनुसार, विकासकर्ता को 1765 एकड़ भूमि के अनुमोदित ले-आउट पर ₹ 34.92 करोड़ (**परिशिष्ट-6.1**) के सीडीसी का भुगतान करने से छूट इस आधार पर दी गयी कि यह 2007 में लागू हुआ था तथा इसलिए ऐसे विकासकर्ता पर लागू नहीं होगा जो हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003 के अन्तर्गत चुना गया था और एलडीए के साथ 2005 में एमओयू किया था। उसी समय, विभाग ने 24 प्रकरणों (216.38 एकड़) में बिना ₹ 170.99 करोड़ (**परिशिष्ट-6.2**) के शुल्क<sup>7</sup> आरोपित किए उच्चतर एफएआर की अनुमति दी यद्यपि विकासकर्ता मई 2005 में चुना गया था और हाई-टेक टाउनशिप के ले-आउट्स का अनुमोदन नवंबर 2006 से नवंबर 2008 की अवधि के दौरान किया गया था। इसलिए, यह एलडीए के वित्तीय हितों के लिए हानिकारक था।

अतः विकासकर्ता को, इस आधार पर कि विकासकर्ता सीडीसी के आरोपण (2007) से पहले चुना गया था, पूर्वव्यापी रूप से सीडीसी की छूट की अनुमति देना और विकासकर्ता पर उच्चतर एफएआर के लिए शुल्क भी आरोपित नहीं किया गया क्योंकि आवंटन हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003 के अन्तर्गत हुआ था, के परिणामस्वरूप एलडीए को ₹ 170.99 करोड़ की सीमा तक हानि हुई।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

<sup>5</sup> चूँकि विभाग ने हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं पर पूर्वव्यापी रूप से अनुमन्य किये गये उच्चतर एफएआर के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया, लेखापरीक्षा ने उच्च एफएआर के लिए देय शुल्कों की गणना के लिए क्रय योग्य एफएआर के लिए लागू दर पर विचार किया है।

<sup>6</sup> मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

<sup>7</sup> क्रय योग्य एफएआर के लिए लागू दर पर लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित।

## लखनऊ विकास प्राधिकरण

### 6.3 दोषयुक्त अनुबंध प्रावधान के कारण प्रतिभूति जमा पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

अनुबंध में प्रतिभूति जमा के लिए मानक प्रावधान को शामिल करने में विफलता के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण को ₹ 2.40 करोड़ का ब्याज देना पड़ा।

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने 22 मार्च 1983 के अपने आदेश के द्वारा निर्देशित किया कि अनुबंध की लागत के 10 प्रतिशत की राशि अनुबंध के निष्पादन के समय प्रतिभूति जमा<sup>8</sup> के रूप में जमा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जीओयूपी द्वारा अनुमोदित (मार्च 1972) लखनऊ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) के मानक अनुबंध प्रलेख (जीपीडब्ल्यू फार्म 9) में भी प्रावधानित है कि किये गये कार्य के लिए प्रत्येक रनिंग बिल से 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि में कटौती करने, जब तक कि निविदा के साथ जमा की गयी अर्नेस्ट मनी को जोड़कर निविदा धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर नहीं हो जाती है, की अनुमति ठेकेदार, विभाग को देगा।

प्राधिकरण ने बहुमंजिला अपार्टमेंट (जानकीपुरम सेक्टर-जे योजना में सृष्टि अपार्टमेंट और स्मृति अपार्टमेंट) के निर्माण के लिए टनकी आधार पर क्रमशः ₹ 82.84 करोड़ और ₹ 92.23 करोड़ के अनुबंध मूल्य के दो अनुबंध एक ठेकेदार<sup>9</sup> को प्रदान किये (मई 2010<sup>10</sup> और जून 2011<sup>11</sup>)।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2019) कि प्राधिकरण ने जीओयूपी के आदेश के अनुसार और जीओयूपी द्वारा अनुमोदित जीपीडब्ल्यू फार्म-9 द्वारा नियत 10 प्रतिशत का उल्लंघन करते हुये अनुबंध लागत के दो प्रतिशत की दर से ठेकेदार द्वारा जमा करने हेतु प्रतिभूति जमा का प्रावधान अनुबंध की सामान्य शर्तों में शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार द्वारा सृष्टि अपार्टमेंट के प्रकरण में ₹ 8.28 करोड़ और स्मृति अपार्टमेंट के प्रकरण में ₹ 9.22 करोड़ (अनुबंध लागत का 10 प्रतिशत) के बजाय क्रमशः ₹ 1.66 करोड़ और ₹ 1.86 करोड़ की प्रतिभूति जमा की गयी, जिससे दोनों अनुबंधों में ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया और ठेकेदार द्वारा चूक की स्थिति में लागत की वसूली की संभावना को जोखिम में डाल दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राधिकरण ने काम में देरी होने के कारण दोनों अनुबंधों को रद्द कर दिया (सृष्टि अपार्टमेंट दिसंबर 2017 में और स्मृति अपार्टमेंट फरवरी 2018 में), तथापि, प्राधिकरण अभी तक (सितंबर 2020) ठेकेदार से ₹ 12.06 करोड़ (₹ 4.32 करोड़ सृष्टि अपार्टमेंट के प्रकरण में और ₹ 7.74 करोड़ स्मृति अपार्टमेंट के प्रकरण में) की वसूली नहीं कर सका। यदि प्राधिकरण द्वारा जीओयूपी आदेश/मानक अनुबंध प्रलेख के अनुसार प्रभावी प्रतिभूति जमा प्राप्त कर लिया जाता तो ठेकेदार से ₹ 11.68 करोड़<sup>12</sup> की अप्राप्ति का परिहार किया जा सकता था।

<sup>8</sup> प्रतिभूति जमा की राशि में ठेकेदार द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी की राशि भी शामिल है। प्रतिभूति जमा लेने का उद्देश्य यह है कि यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में चूक करता है, तो प्रतिभूति जमा को जत्त किया जा सकता है और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।

<sup>9</sup> मै0 मार्ग लिमिटेड।

<sup>10</sup> अनुबंध बॉन्ड संख्या 2181/मुख्य अभियंता दिनांक 02.07.2010।

<sup>11</sup> अनुबंध बॉन्ड संख्या 2512 दिनांक 28.06.2011।

<sup>12</sup> सृष्टि अपार्टमेंट के प्रकरण में यदि प्रतिभूति जमा ₹ 6.62 करोड़ (₹ 8.28 करोड़ - ₹ 1.66 करोड़) से कम वसूल नहीं किया गया होता तो ₹ 4.32 करोड़ की धनराशि वसूल की जा सकती थी और स्मृति अपार्टमेंट के प्रकरण में, वसूली योग्य राशि ₹ 7.74 करोड़ के विरुद्ध कम वसूली की राशि अर्थात ₹ 7.36 करोड़ (₹ 9.22 करोड़ - ₹ 1.86 करोड़) तक वसूली जा सकती थी।

निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) या लेटर ऑफ आवार्ड में सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा की कटौती या जमा करने के लिए स्पष्ट उल्लेख करने में प्राधिकरण विफल रहा। तथापि, प्राधिकरण ने दोनों प्रकरणों में अनुबंध के प्रावधान की कमी को पूरा करने के लिए ठेकेदार के रनिंग बिलों में से प्रतिभूति जमा (आठ प्रतिशत की दर से) की कटौती करना शुरू कर दिया (फरवरी 2011 और फरवरी 2012)।

ठेकेदार द्वारा रनिंग बिलों से प्रतिभूति जमा की कटौती को आर्बिट्रेशन में चुनौती दी गयी (मई 2014)। आर्बिट्रेटर ने अपने अंतरिम आदेश (मई 2015) में प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा की कटौती नहीं करने के लिए निर्देशित किया। तथापि, प्राधिकरण ठेकेदार के रनिंग बिलों से जनवरी 2017 तक प्रतिभूति जमा की कटौती करता रहा और सृष्टि अपार्टमेंट अनुबंध के प्रकरण में कुल राशि ₹ 5.40 करोड़ और स्मृति अपार्टमेंट अनुबंध के प्रकरण में कुल ₹ 4.77 करोड़ की कटौती कर लिया।

परिणामस्वरूप आर्बिट्रेटर ने अपने अंतिम निर्णय (अक्टूबर 2016) में, प्रतिभूति कटौती की गयी जमा राशि 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ ठेकेदार को वापस करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश दिया क्योंकि अनुबंधों में बिना प्रावधान के इसकी कटौती की गयी थी। अनुपालन में, अधिक कटौती की गयी प्रतिभूति जमा की राशि ₹ 10.17 करोड़ के साथ ₹ 2.40 करोड़<sup>13</sup> ब्याज की राशि प्राधिकरण ने ठेकेदार को वापस कर दिया।

इस प्रकार, एनआईटी/एलओए/अनुबंध प्रपत्र में 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति जमा की राशि की कटौती का मानक प्रावधान शामिल नहीं करने के कारण कटौती की गयी प्रतिभूति जमा की राशि को प्राधिकरण द्वारा वापस करना पड़ा एवं ₹ 2.40 करोड़ के ब्याज का भी भुगतान करना पड़ा। अनुबंध निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों<sup>14</sup> की सम्यक सतर्कता में कमी के कारण यह त्रुटि हुयी।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में कहा कि आर्बिट्रेटर के निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा ब्याज के रूप में ₹ 2.40 करोड़ का भुगतान किया गया। अपार्टमेंटों की लागत में इस राशि को शामिल करके हानि को वसूल कर लिया गया है, इसलिये प्राधिकरण को कोई हानि नहीं हुई है।

प्राधिकरण का उत्तर केवल आर्बिट्रेशन के निर्णय एवं उसके सापेक्ष भुगतान को सन्दर्भित करता है। तथापि, यह जीओयूपी द्वारा अनुमोदित मानक अनुबंध प्रलेख और जीओयूपी के विद्यमान आदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही की ओर इंगित नहीं करता है। आगे, प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मानक अनुबंध प्रलेख का अनुपालन नहीं करने के कारण अपार्टमेंटों की लागत में इसे शामिल करके हानि की क्षतिपूर्ति करना केवल अंतिम उपयोगकर्ताओं/खरीदारों के लिए लागत में वृद्धि करेगा।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। उत्तर अभी भी प्रतिक्षित है (सितंबर 2020)।

<sup>13</sup> सृष्टि अपार्टमेंट के प्रकरण में ब्याज भुगतान ₹ 1.53 करोड़ और स्मृति अपार्टमेंट के प्रकरण में ₹ 0.87 करोड़ है।

<sup>14</sup> अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता।

## लखनऊ विकास प्राधिकरण

### 6.4 ठेकेदार को अनुचित लाभ

**पाइल कार्य की अतिरिक्त मद का अधिक दरों पर निष्पादन करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.41 करोड़ की सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।**

उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 265.59 करोड़<sup>15</sup> की परियोजना लागत के साथ जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केन्द्र (जेपीएनआईसी)<sup>16</sup> के निर्माण को अनुमोदित किया (मार्च 2013) तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया। एलडीए ने जेपीएनआईसी<sup>17</sup> के निर्माण कार्य को एक ठेकेदार<sup>18</sup> को ₹ 149.60 करोड़ की लागत (अनुमानित लागत से 12.35 प्रतिशत अधिक) पर अनुबंधित किया (मई 2013)।

सलाहकार द्वारा प्रस्तुत (जनवरी 2013) मूल भवन ले-आउट योजना में हेलीपैड का प्रावधान नहीं था। हालाँकि, राष्ट्रीय भवन संहिता की आवश्यकता के अनुसार छत के ऊपर हेलीपैड का प्रावधान कार्य में बाद में शामिल किया गया। इसके फलस्वरूप जून 2013 में नींव के कार्य में 600 एमएम व्यास के पाइल कार्य<sup>19</sup> को 1,000 एमएम व्यास पाइल कार्य से प्रतिस्थापित कर दिया गया जैसा कि सलाहकार द्वारा मानदण्डों के अनुसार भवन पर भार गुणांक को विचार करते हुए प्रस्तावित किया गया था (जून 2013)। एलडीए ने उपरोक्त अवाश्यकता के आधार पर नींव के कार्य में 1,000 एमएम व्यास पाइल कार्य को एक अतिरिक्त मद के रूप में अनुमोदित कर दिया (अगस्त 2013)।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2017) कि विचलन विवरण<sup>20</sup> में नींव में 1,000 एमएम व्यास पाइल कार्य की दरें दिल्ली दर अनुसूची (डीएसआर) 2012 से ली गयी थीं तथा डीएसआर 2013, जो कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 14 अगस्त 2013 को प्रकाशित किया गया (अर्थात् विचलन विवरण के अनुमोदन से पहले), में दी हुयी मद की निम्न दर को बिना ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कराया गया (23 अगस्त 2013)। आगे यह भी देखा गया कि कार्य के निष्पादन में शामिल सभी अतिरिक्त मदों<sup>21</sup> के लिए विचलन विवरण को, तथ्यों को गलत ठहराते हुए कि अतिरिक्त मदों की दरें डीएसआर 2012 एवं अनुमानित लागत का निविदा प्रतिशत (12.35 प्रतिशत) तथा डीएसआर 2013 में से जो कम हो पर अनुमोदित किया गया था (मई 2014)।

इस प्रकार, अतिरिक्त मदों के विचलन विवरण के अनुमोदन में डीएसआर 2013 की दरों पर विचार न करने के कारण एलडीए ने ₹ 8,201.40 प्रति मीटर (डीएसआर 2013) की दर के बजाय ठेकेदार को 1,000 एमएम पाइल कार्य का भुगतान ₹ 8,773.69 प्रति मीटर (डीएसआर 2012, 12.35 प्रतिशत सहित) की दर से कर दिया। इसके कारण ठेकेदार को 24,680 मीटर की कुल निष्पादित मात्रा के विरुद्ध

<sup>15</sup> नवंबर 2016 में ₹ 864.99 करोड़ पर संशोधित।

<sup>16</sup> परियोजना में मुख्य भवन (अधिवेशन केन्द्र), संग्रहालय भवन, पार्किंग सेवाएं, स्थल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सुविधाएं, विद्युत एवं अग्नि प्रणाली, सौर पैनल इत्यादि सम्मिलित थे।

<sup>17</sup> अधिवेशन केन्द्र तथा संग्रहालय भवन का निर्माण।

<sup>18</sup> शालीमार कॉर्प लिमिटेड।

<sup>19</sup> सलाहकार द्वारा प्रारम्भ में प्रस्तावित।

<sup>20</sup> विचलन विवरण एलडीए के अवर अभियंताओं तथा सहायक अभियंताओं द्वारा तैयार किया गया।

<sup>21</sup> विचलन विवरण के 36 मदों में से 1,000 एमएम पाइल कार्य मद हेतु दर डीएसआर 2012 के अनुसार ली गयी थी तथा अतिरिक्त सीमेंट मद हेतु दर डीएसआर 2013 के अनुसार ली गयी थी। अतिरिक्त 34 मदों के लिये डीएसआर 2013 में दरें उपलब्ध नहीं थीं।

₹ 1.41 करोड़<sup>22</sup> का अनुचित लाभ हुआ तथा इसी सीमा तक राजकीय खजाने को हानि हुई।

उत्तर में प्राधिकरण ने कहा (मार्च 2018) कि जब 1,000 एमएम व्यास के पाइल कार्य के अनुमोदन के लिए विचलन अग्रसारित किया जा रहा था (8 अगस्त 2013), डीएसआर 2013 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था, अतः डीएसआर 2012 की दर 12.35 प्रतिशत सहित विचारित तथा अनुमन्य की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपाध्यक्ष द्वारा 23 अगस्त 2013 को अतिरिक्त मद की दर के अनुमोदन के पूर्व ही डीएसआर 2013 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित कर दिया गया था और इसलिए दर अनुमोदन के समय लागू डीएसआर 2013 के अनुसार दर को संशोधित किया जाना चाहिए था।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

### मेरठ विकास प्राधिकरण

#### 6.5 उपाध्यक्ष के लिए निवास के निर्माण पर अतिशय व्यय

राज्य सरकार के मानदण्डों के उल्लंघन में मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपने उपाध्यक्ष के एक आवासीय भवन के निर्माण के लिए ₹ 5.36 करोड़ के भूमि के भूखण्ड पर ₹ 2.94 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

वित्तीय विवेक के प्रकरण में, प्रस्तावित परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं निधियों के लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु पात्रता, वित्तीय व्यवहार्यता एवं कार्य साध्यता के समुचित अभिनिर्धारण के पश्चात ही किसी कार्य को प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 01 जनवरी 2006 से संशोधित वेतनमानों के आधार पर आवासीय पात्रता निर्धारित की (फरवरी 2009)<sup>23</sup>। इस आदेश के अनुसार, वेतनमान पीबी-3 (₹ 15,600–39,100 ₹ 7,600 ग्रेड वेतन के साथ) में एक अधिकारी एक टाइप-V श्रेणी के आवास के लिए पात्र था। आगे, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जीओयूपी आदेश (नवंबर 2011) के अन्तर्गत टाइप-V श्रेणी के लिए 225.40 वर्ग मीटर (2,426 वर्ग फीट) का कुर्सी क्षेत्रफल का प्रावधान किया गया। तदनुसार, मेरठ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) के उपाध्यक्ष (वीसी) 225.40 वर्ग मीटर (व0मी0) वाले टाइप-V श्रेणी आवास के लिए पात्र<sup>24</sup> थे।

प्राधिकरण ने अपनी 99वीं बोर्ड की बैठक में अपनी गंगा नगर आवासीय योजना में एक 2,000 व0मी0 (21,528 वर्ग फीट) क्षेत्रफल के एक भूखण्ड पर वीसी हेतु एक आवासीय भवन के निर्माण को अनुमोदित किया (अप्रैल 2013)। आगे, गंगा नगर योजना में अतिक्रमण और एक न्यायालयीय प्रकरण के कारण प्राधिकरण ने अपनी 104वीं बोर्ड बैठक (दिसंबर 2014) में वीसी हेतु आवासीय भवन के स्थल को अपनी शताब्दी नगर आवासीय योजना के सेक्टर-2 में ₹ 5.36 करोड़ के मूल्य वाले 4,664.46 व0मी0 (50,208 वर्ग फीट) क्षेत्रफल के एक भूखण्ड पर, जो कि वन विभाग से प्राप्त किया गया था, पर स्थानांतरण के लिए अनुमोदित किया। प्राधिकरण ने नवंबर 2016 तक निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ ₹ 6.95 करोड़ की लागत के लिए (सितंबर 2015 में

<sup>22</sup> 24,680 मीटर x ₹ 572.29 (दर का अन्तर)।

<sup>23</sup> आदेश संख्या आर-168/32-2-2009-27/2001 के द्वारा।

<sup>24</sup> चूंकि प्राधिकरण के पास वीसी के आवासीय पात्रता के लिए कोई नियम/दिशा-निर्देश नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आवासीय पात्रता के लिए जीओयूपी/पीडब्ल्यूडी आदेश के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

₹ 7.17 करोड़<sup>25</sup> पर संशोधित) एक ठेकेदार को कार्य आवंटित किया (मई 2015)। इस प्रकार, वीसी के आवास की कुल अनुमानित लागत भूमि की लागत के साथ ₹ 12.53 करोड़ थी। निर्माण कार्य मई 2015 में प्रारम्भ हुआ और अक्टूबर 2016 तक जारी रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2017) कि प्रस्तावित वीसी आवास में 9,700 वर्ग फीट के मनोरंजन क्षेत्र के अतिरिक्त 20,000 वर्ग फीट<sup>26</sup> के आच्छादित क्षेत्रफल का एक तीन मंजिला आवासीय भवन शामिल था। मनोरंजन क्षेत्र में एक स्वीमिंग पुल और जिम के सहित हेल्थ क्लब, स्टीम, सौना, स्नूकर तथा टेबल टेनिस की सुविधाएं शामिल थीं।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अधूरे भवन के वैकल्पिक प्रयोगों का प्रस्ताव देने के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित (नवंबर 2016) एक समिति ने अपने व्यवहार्यता प्रतिवेदन में निष्कर्ष दिया कि भवन में निहित कई वास्तु दोष, उच्च रखरखाव लागत, इत्यादि वाली अव्यवहारिक संरचना के कारण, इसका प्रयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। अग्रेतर, उन्होंने भवन को नीलाम करने का सुझाव दिया जो यह इंगित करता है कि संपूर्ण निर्माण कार्य की योजना, इसकी साध्यता और वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन किए बिना बनायी गयी थी।

फलस्वरूप, बोर्ड ने अपनी 108वीं बैठक (दिसंबर 2016) में, परियोजना की अत्यधिक लागत, भविष्य में होने वाले मरम्मत तथा रखरखाव के व्यय एवं प्राधिकरण हेतु भवन की उपयोगिता पर विचार करके निर्माणाधीन कार्य को स्थगित करने एवं इसके अन्य उपयोगों का अन्वेषण करने अथवा जैसा है—जहाँ है के आधार पर नीलामी के द्वारा इसका विक्रय करने का निर्णय लिया। तदनुसार, प्राधिकरण ने भवन पर ₹ 2.94 करोड़<sup>27</sup> व्यय करने के पश्चात निर्माण कार्य को रोक दिया (दिसंबर 2016)।

इस प्रकार, पात्रता एवं वित्तीय व्यवहार्यता रहित एक अनौचित्यपूर्ण विशाल भूखण्ड क्षेत्र पर वीसी आवास के निर्माण के कारण निर्माण कार्य पर हुआ ₹ 2.94 करोड़ का व्यय निष्फल होने के साथ—साथ समय व्यतीत होने के साथ इसके मूल्य में क्षरण भी हुआ। इसके अलावा ₹ 5.36 करोड़ लागत की मूल्यवान भूमि भी अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2019 तथा नवंबर 2019 के दौरान हुई ई—नीलामी में भवन को क्रय करने हेतु किसी आवेदक ने आवेदन नहीं किया।

प्राधिकरण के स्तर पर वीसी के लिए 20,000 वर्ग फीट के एक आवास के लिए ₹ 8.30 करोड़ का व्यय (भूमि की लागत तथा निर्माण) करना अत्यन्त अविवेकपूर्ण तथा औचित्य के स्थापित मानदण्डों के विरुद्ध था जबकि वह जीओयूपी के फरवरी 2009 के आदेश के अनुसार मात्र 2,426 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले टाइप—V भवन के लिए पात्र था।

उत्तर में, प्राधिकरण ने कहा (जून/सितंबर 2020) कि निर्माण की अत्यधिक लागत, भविष्य में रखरखाव पर उच्च व्यय और प्राधिकरण को भवन की उपयोगिता पर विचार करके निर्माण कार्य रोक दिया गया। अर्ध—निर्मित भवन के विक्रय के लिए अभी तक (सितंबर 2020) कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नीलामी के द्वारा इसके विक्रय के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

<sup>25</sup> सलाहकार द्वारा प्रस्तुत आरेखण के अनुसार आरसीसी (1: 1.5: 3) के स्थान पर एम—25 ग्रेड कंक्रीट के प्रावधान के कारण।

<sup>26</sup> अधूरे भवन के वैकल्पिक उपयोग का प्रस्ताव देने के लिए प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2016 में गठित समिति के साध्यता प्रतिवेदन के अनुसार।

<sup>27</sup> ठेकेदार को ₹ 2.33 करोड़ का भुगतान + वास्तुविद को भुगतान किया गया शुल्क ₹ 0.12 करोड़ + निविदा प्रक्रिया पर ₹ 0.01 करोड़ + लंबित भुगतानों पर ₹ 0.48 करोड़ (ठेकेदार के ₹ 0.43 करोड़ एवं वास्तुविद के ₹ 0.05 करोड़)।

प्राधिकरण का उत्तर प्राथमिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं करता है कि प्राधिकरण के बोर्ड ने पात्रता के मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए प्रस्ताव को कैसे अनुमोदित कर दिया। अक्टूबर 2019 एवं नवंबर 2019 के दौरान हुई ई-नीलामी में सहभागिता का अभाव इसकी त्रुटिपूर्ण डिजायन एवं अर्ध-निर्मित भवन की परिणामी क्षीण स्थिरता तथा उपयोग को भी इंगित करती है। वर्तमान प्रकरण प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से सम्बंधित प्रस्ताव के सम्बंध में बोर्ड द्वारा सम्यक विवेक के त्याग को इंगित करता है।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

### **संस्तुति :**

बोर्ड द्वारा नियंत्रण की विफलता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को सभी विकास प्राधिकरणों के विशेष रूप से मुख्य कार्यकारी/उपाध्यक्ष/समकक्षों से सम्बंधित प्रस्तावों के अनुमोदन प्रदान करने की वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए।

### **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**

#### **6.6 विकासकर्ता को अनुचित लाभ**

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ₹ 2.51 करोड़ के प्रशासनिक शुल्क की वसूली न करके विकासकर्ता को अनुचित लाभ दिया।**

उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास और नगरीय मूलभूत संरचना की बढ़ती मांग को पूरा करने और आवास क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मई 2005 में शहरी क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए नीति तैयार की। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार सम्बंधित विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विकासकर्ता के द्वारा उसकी लागत पर भूमि के संयोजन एवं विकास की सुविधा प्रदान करेगा। आगे इस नीति के अनुसार विकास प्राधिकरण के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण के लिए विकासकर्ता इसको देय दस प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क सहित अधिग्रहण शुल्क का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा की जांच (जनवरी 2016 और नवंबर 2019) में पता चला कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने एक एकीकृत टाउनशिप विकासकर्ता<sup>28</sup> के लिए 22.3608 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के दो प्रस्ताव अक्टूबर 2010 से दिसंबर 2010 के दौरान प्रस्तुत किये। भूमि का अधिग्रहण फरवरी 2013 से मई 2015 की अवधि के दौरान किया गया था और भूमि प्रीमियम के ₹ 25.14 करोड़ वसूल करने के बाद फरवरी 2013 से जून 2015 की अवधि के दौरान विकासकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राधिकरण ने विकासकर्ता से वसूल किये गये अधिग्रहण शुल्क में प्रशासनिक शुल्क ₹ 2.51 करोड़ (परिशिष्ट-6.3) की धनराशि को शामिल नहीं किया।

इस प्रकार, विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली धनराशि में प्रशासनिक शुल्क शामिल न करने के कारण विकासकर्ता को ₹ 2.51 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर (जुलाई 2018 और मार्च 2020) में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की स्पष्टता न होने के कारण प्रशासनिक शुल्क नहीं लगाया जा सका। अग्रेतर, प्रशासनिक शुल्क की वसूली के लिए एकीकृत टाउनशिप विकासकर्ता को एक मांग पत्र (जुलाई 2020) जारी किया गया है। अतएव,

<sup>28</sup> अग्रवाल एसोसिएट प्रोमोटर्स लिमिटेड।

विकासकर्ता से प्रशासनिक शुल्क अभी भी वसूला जाना है (सितंबर 2020)। उक्त प्रशासनिक शुल्क की वसूली में विफलता के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2020)। उत्तर अभी भी प्रतिक्षित है (सितंबर 2020)।

### पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

#### 6.7 प्रीमियम तथा पट्टा किराया आरोपित एवं वसूल नहीं किया जाना।

वन एवं वन्यजीव विभाग गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के हस्तांतरण पर ₹ 22.53 करोड़ के प्रीमियम तथा पट्टा किराया को आरोपित करने एवं वसूलने में विफल रहा।

भारत सरकार (जीओआई) ने गैर-वानिकी उपयोग के लिए जुलाई 1999 से नवंबर 2015 की अवधि में वन एवं वन्यजीव विभाग (विभाग) के तीन प्रभागों<sup>29</sup> में तीन पट्टाधारकों<sup>30</sup> को 20.969 हेक्टेयर वन भूमि का परिवर्तन अनुमोदित किया। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने अगस्त 2000 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान 20.969 हेक्टेयर वन भूमि के पट्टे के आधार पर हस्तांतरण के अनुमोदन हेतु अधिसूचनाएं जारी की। 25 वर्षों से 30 वर्षों की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादित किए जाने थे। जीओयूपी के अनुमोदनानुसार, जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा नियत किए गए प्रचलित बाजार दर के बराबर पट्टाधारकों के द्वारा प्रीमियम और प्रीमियम के 10 प्रतिशत के बराबर वार्षिक पट्टा किराया जमा करने के पश्चात ही भूमि का कब्जा पट्टाधारकों को देना था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर—नवंबर 2019) कि जीओयूपी के अनुमोदन की शर्तों के बावजूद, सम्बंधित प्रभागों के वनाधिकारियों<sup>31</sup> ने पट्टाधारकों के साथ पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया और प्रचलित बाजार दर पर ₹ 16.91 करोड़ का पट्टा प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक पट्टा किराया ₹ 5.62 करोड़<sup>32</sup> (**परिशिष्ट-6.4**) अभी तक (जून 2020) वसूल नहीं किया यद्यपि भूमि पट्टाधारकों के कब्जे में थी। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए अभिलेखों में इसके कारण नहीं पाए गए।

अतः प्रीमियम और पट्टा किराया को जमा करने तथा पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात ही प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि का कब्जा प्रदान करने के सरकारी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की विफलता के कारण विभाग ₹ 22.53 करोड़<sup>33</sup> का प्रीमियम तथा पट्टा किराया वसूल करने में विफल रहा।

उत्तर में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा (जून 2020) कि मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड के प्रकरण में जिलाधिकारी गोंडा से अभी तक भूमि की बाजार दर प्राप्त नहीं हुई है। बाजार दर प्राप्त होने के पश्चात मूल्यांकन किया जाएगा तथा पट्टाधारक से धनारशि की वसूली की जाएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रकरण में यह कहा गया कि प्रकरण राज्य सरकार को सन्दर्भित किया गया है तथा सरकार के निर्णय के अनुसार वसूली की

<sup>29</sup> डीएफओ गोंडा, डीएफओ जी.बी. नगर तथा डीडीएसएफ ललितपुर।

<sup>30</sup> बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।

<sup>31</sup> वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी।

<sup>32</sup> पट्टा प्रीमियम तथा पट्टा किराया की गणना सितंबर 2019 तक की गयी है।

<sup>33</sup> ब्याज के घटक को गणना में नहीं लिया गया है।

जाएगी। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड<sup>34</sup> (यूपीएसईबी) के प्रकरण में देयों की वसूली के लिए जिलाधिकारी झाँसी को वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने तथा उपयोगकर्ताओं से देयों की वसूली होने के बाद ही वन भूमि का कब्जा देने के सम्बंध में मई 2020 में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

तथ्य यह है कि उपरोक्त प्रकरणों में वन प्रभागों ने बिना पट्टा विलेख निष्पादित किये तथा प्रीमियम और पट्टा किराये की वसूली के भूमि को दे दिया। विभाग राज्य सरकार के वित्तीय हितों की सुरक्षा एवं निगरानी करने में तथा उपरोक्त प्रकरणों में जवाबदेही तय करने में भी विफल रहा।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

#### अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

#### ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

#### 6.8 उच्च दर पर सफाई का अनुबंध प्रदान करने के कारण अतिरिक्त व्यय

**लागत विश्लेषण तैयार करने में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सम्यक सतर्कता के अभाव के कारण दो सफाई अनुबंधों को उच्च दर पर दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अनुबंध के पूर्ण होने तक ₹ 3.04 करोड़ तक बढ़ जाएगा।**

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) ने ग्रेटर नोएडा टाउनशिप की मुख्य सड़कों के एकीकृत मैकेनिकल और मैनुअल स्वीपिंग (आईएमएसएस) के लिए दो ई-निविदाएं आमंत्रित की (मई 2016)। पहला ई-टेंडर 260.27 हेक्टेयर (भाग-I) के सफाई क्षेत्रफल के लिए जबकि दूसरा ई-टेंडर 163.22 हेक्टेयर (भाग-III) के सफाई क्षेत्रफल के लिए, प्रत्येक सात वर्ष के कार्यकाल के लिए था।

जीएनआईडीए की निविदा समिति ने दोनों भाग-I एवं III के सफाई क्षेत्रों के लिए न्यूनतम निविदादाता<sup>35</sup> को सहमत दर ₹ 470 प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर, जो ₹ 474.47 प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर की विश्लेषित दर से कम थी, पर अनुबंध प्रदान किया (अगस्त 2016)। भाग-I एवं भाग-III के लिए कुल अनुबंध मूल्य क्रमशः ₹ 31.25 करोड़ तथा ₹ 19.60 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2018) कि ₹ 474.47 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन की विश्लेषित दर जीएनआईडीए द्वारा निम्नलिखित को सम्मिलित करने के कारण उच्चतर थी।

- एक स्वीपिंग मशीन के लिए एक केन्द्रीय ब्रश प्रति माह की लागत के स्थान पर एक स्वीपिंग मशीन के लिए दो केन्द्रीय ब्रश के सेट की लागत, तथा
- श्रमिकों के लिए वर्दी की मासिक लागत के स्थान पर वार्षिक लागत।

लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय ब्रश और वर्दी की सही दरों को लागू करके प्रति हेक्टेयर प्रति दिन की दर का भी विश्लेषण किया, जो ₹ 441.94 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन आंकित की गयी। इस प्रकार जीएनआईडीए द्वारा आंकित विश्लेषित दर ₹ 474.47 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन, दरों के विश्लेषण में स्वीपिंग मशीन के केन्द्रीय ब्रश और श्रमिकों की वर्दी की गलत दरों के लगाने से, ₹ 32.53 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन (**परिशिष्ट-6.5**) से उच्चतर थी।

<sup>34</sup> वर्तमान में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

<sup>35</sup> मैं ० एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल प्राइवेट लिमिटेड।

इस प्रकार, सफाई अनुबंधों की दरों के लागत विश्लेषण को तैयार करते समय जीएनआईडीए के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों<sup>36</sup> द्वारा समुचित सजगता में कमी के कारण जीएनआईडीए ने सितंबर 2016 से मई 2020 तक की अवधि में दोनों अनुबंधों के अन्तर्गत कराये गये कार्य पर ₹ 28.06<sup>37</sup> प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन के उच्च दर अनुबंध के कारण ₹ 1.60 करोड़<sup>38</sup> का अधिक व्यय किया। सात वर्षों की अनुबंध अवधि पूरी होने तक यह अतिरिक्त व्यय बढ़कर ₹ 3.04 करोड़<sup>39</sup> हो जाएगा।

जीएनआईडीए ने अपने उत्तर (जून 2020) में, लागत विश्लेषण में श्रमिकों के लिए वर्द्धी की गलत दरों से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया है। आगे, जीएनआईडीए ने बताया कि इसने दोनों पैकेज में से प्रत्येक (भाग—I और III दोनों) के लिए दो मशीनों के लिए दो केन्द्रीय ब्रशों की सही लागत ₹ 1,41,961.42<sup>40</sup> प्रति माह को लिया था।

केन्द्रीय ब्रश के लिए जीएनआईडीए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक ब्रश के स्थान पर गलत तरीके से दो ब्रशों की लागत ली गयी थी जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह लागत अधिक आयी थी। जीएनआईडीए ने मासिक लागत में चार ब्रश की दर प्रयुक्त की थी जबकि प्रति माह दो मशीनों के लिए केवल दो ब्रशों की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उसी ठेकेदार के साथ भाग-II के लिए किये गये अनुबंध (मई 2012) के लागत विश्लेषण में दो मशीनों प्रति माह के लिए केवल दो मुख्य (केन्द्रीय) ब्रशों को लिया गया था, जिससे लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि होती है।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। उत्तर अभी भी प्रतिक्षित है (सितंबर 2020)।

## लेखापरीक्षा प्रभाव

### 6.9 कार्य की अतिरिक्त मद के निष्पादन में अतिरिक्त व्यय

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने प्राधिकरण के लिए प्रशासनिक कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को कार्य की अनुमानित लागत से 33.66 प्रतिशत अधिक पर ₹ 188.81 करोड़ पर आवंटित किया (अक्टूबर 2011)। अनुबंध की सामान्य शर्तों के उपबन्ध 13 (iii) के अनुसार, यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिरथापित कार्य में कोई ऐसे कार्य शामिल हैं जिनके लिए अनुबंध में कोई दरें निर्दिष्ट नहीं हैं और न ही अनुबंध में समान वर्ग के कार्य से दरें प्राप्त की जा सकती हैं, तब ऐसा कार्य डीएसआर-2007 में दी गयी दरों में कुल निविदा धनराशि जैसा कि निविदा में ली गयी है, सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत से कम / ज्यादा दी गयी प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।

अतिरिक्त निष्पादित मदों की जांच से ज्ञात हुआ कि प्राधिकरण ने 6,340.24 वर्ग मीटर 12 एमएम “ग्रीनलम कम्पनी मेक” प्री-लेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (दोनों तरफ से लेमिनेटेड एम.एस. फ्रेम कार्य के लिए दोनों तरफ स्वतः चिपकने वाला उच्च बंधन टेप) को एक अतिरिक्त मद के रूप में अनुमोदित किया। हालाँकि, अनुबन्ध के उपबन्ध 13 (iii) की उपरोक्त शर्तों के विपरीत प्राधिकरण ने ₹ 1,685.86<sup>41</sup> प्रति वर्ग मीटर के बजाय ₹ 3,409.82 प्रति वर्ग मीटर की दर से “ग्रीनलम कम्पनी मेक” पार्टिकल

<sup>36</sup> सहायक प्रबंधक, प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक।

<sup>37</sup> अनुबंधित दर ₹ 470 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन में से सही विश्लेषित दर ₹ 441.94 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन घटाने पर।

<sup>38</sup> 1350 दिन x ₹ 423.49 हेक्टेयर x ₹ 28.06 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन।

<sup>39</sup> अनुबंध की अवधि के दौरान उपर्जित अतिरिक्त देयता (₹ 50.85 करोड़ - ₹ 47.81 करोड़)।

<sup>40</sup> ₹ 70,980.71 x 2 पैकेज = ₹ 1,41,961.42।


<sup>41</sup> डीएसआर-2007 के अनुसार दर में 33.66 प्रतिशत जोड़कर।

बोर्ड की उच्चतर दर की अनुमति दी जोकि प्रति वर्ग मीटर ₹ 1,723.96 अधिक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया (जून 2020) तथा कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ₹ 1.09 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.10 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

लखनऊ

दिनांक 19 फरवरी 2021



(जयंत सिंह)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),  
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुमू)

नई दिल्ली  
दिनांक 23 फरवरी 2021

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक